

प्रेषक,

देवेश मिश्र,

संयुक्त सचिव,

उ०प्र० शासन।

सेवा में,

निदेशक

क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र,

लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-5

लखनऊ : दिनांक 31 मार्च, 2026

विषय:- भारत सरकार द्वारा आर०सी०यू०ई०एस०, लखनऊ हेतु उपलब्ध करायी गयी अनुदान राशि केन्द्र (आर०सी०यू०ई०एस०, लखनऊ) को हस्तांतरित करने के संबंध में।

महोदय,


कृपया उपर्युक्त विषयक अनुसचिव, आवासन एवं शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली पत्र संख्या-N-11024/01/2017-LSG दिनांक 27-03-2026 द्वारा क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, लखनऊ के कार्मिकों के वेतन मद में रूपये 62.50 लाख अवमुक्त किये जाने के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त धनराशि के सापेक्ष **समस्त रूपये 62.50 लाख (रूपये बासठ लाख पचास हजार मात्र)** की धनराशि निम्नलिखित प्रतिबन्धों एवं शर्तों के अधीन अवमुक्त किये जाने पर श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

- (1) यह धनराशि कोषागार से एकमुश्त/ आहरित कर किसी बैंक/पीएलए/पोस्ट आफिस/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।
- (2) स्वीकृत धनराशि प्रतिमाह की वास्तविक आवश्यकता के आधार पर कोषागार से आहरित कर उन्हीं कार्मिकों के वेतन/भत्तों पर ही व्यय की जाएगी, जो पद शासन द्वारा स्वीकृत हैं तथा जिसके सापेक्ष कर्मी कार्यरत हैं।
- (3) इस धनराशि का उपभोग चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अवश्य कर लिया जाय तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकर, उ०प्र० इलाहाबाद एवं शासन को उपलब्ध कराया जाय।
- (4) स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष आहरण हेतु बीजक शासन के सक्षम स्तर से प्रतिहस्ताक्षरित कराकर कोषागार को उपलब्ध कराया जायेगा।
- (5) इस संबंध में भारत सरकार के आवासन एवं शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र संख्या-एन-11024/01/2017-एलएसजी, दिनांक 01.07.2020 द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (6) भारत सरकार द्वारा निर्धारित गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (7) इस संबंध में वित्त विभाग के कार्यालय संख्या - 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक- 27-मार्च, 2025 में दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 62,50,000 (रुपये बासठ लाख पचास हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 037 लेखा शीर्षक 2217808000600 लखनऊ विश्वविद्यालय (रीजनल सेन्टर फार अरबन एण्ड इनवायरमेन्टल स्टडी के लिए भारत सरकार द्वारा अनुमोदित पदों पर तैनात कार्मिकों के वेतन मद हेतु प्राप्त केन्द्रांश से व्यय हेतु) (केन्द्रांश 100 प्रतिशत) मानक मद 31 सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन) के नामे डाला जायेगा।


3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न यू0ओ0 संख्या-E-9-670-X-2025-26-दिनांक:31-3-2026 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(देवेश मिश्र),
संयुक्त सचिव।

संख्या-859/2026/1234(1)/नौ-5-2026/003-Com.No.1478126, तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
- 2- महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
- 3- अनुसचिव, आवासन एवं शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- 4- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 5- निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0 लखनऊ।
- 6- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
- 7- रजिस्ट्रार/वित्त अधिकारी, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।
- 8- अपर निदेशक, क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, लखनऊ।
- 9- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
- 10- गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,

(देवेश मिश्र),
संयुक्त सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2025-2026
आवंटन दिनांक-31/03/2026

प्रेषण संख्या:- 859
आवंटन आदेश संख्या:- 001-859-2026-1234-9-5-2026-003-CN-1478126
अनुदान संख्या:- 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2025-2026 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2217 - शहरी विकास(आयोजनेत्तर-मतदेय)
80 - सामान्य
800 - अन्य व्यय
06 - लखनऊ विश्वविद्यालय (रीजनल सेन्टर फार अरबन एण्ड
इनवायरमेन्टल स्टडी के लिए भारत सरकार द्वारा अनुमोदित पदों पर तैनात
कार्मिकों के वेतन मद हेतु प्राप्त केन्द्रांश से व्यय हेतु) (केन्द्रांश 100
प्रतिशत)

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		31-सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)	योग
1	जवाहर भवन, लखनऊ-6027-निदेशक रीजनल सेंटर फॉर अर्बन एण्ड इनवायरमेन्टल स्टडी , लखनऊ-01- lucknow	वर्तमान प्रगामी	6250000 25000000	6250000 25000000
	योग	वर्तमान प्रगामी	6250000 25000000	6250000 25000000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया बासठ लाख पचास हजार
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया दो करोड़ पचास लाख

(देवेश मिश्र)
संयुक्त सचिव